न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 814 सन 2020/ऑन लाईन नम्बरः–2019/00990
अनवान :–

1. कृष्ण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्योलाल पुत्र केशाराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. रोहिताश पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. विमलादेवी पत्नी स्व राजवीर जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. मुकेश कुमार पुत्र स्व राजवीर जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. दिनेश कुमार पुत्र स्व राजवीर जाति जाट निवासी परलीका तहसील नेाहर।
6. कैलाश पुत्री श्योलाल पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर हाल निवासी चोडीवाला तहसील सिरसा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री नरेन्द किशोंर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 20/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता सख्या 134/131–132 की कुल 4.6800हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा श्योलाल वल्द केशाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा श्योलाल वल्द केशाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा श्योलाल वल्द केशाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के दादा श्योलाल वल्द केशाराम ने पैतृक सम्पति व सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि खरीद कर प्रवितादी संख्या 1 के नाम करवाई गइ थी इसलिये यह भूमि भी पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है क्यो कि पैतृक सम्पति व सयुक्त परिवार की आय से खरीद की गई थी जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 के सभी वारिसान का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 का एक पुत्र राजवीर का देहानत हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 है अर्थात वाद भूमिं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ,4 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ,4 ता 65 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 ,4 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता श्योलाल वल्द केशाराम के देहान्त होने पर विरास्तन

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

से प्राप्त हुई है तथा वादी के दादा श्योलाल वल्द केशाराम ने कुछ भूमि पैतृक सम्पति व सयुक्त परिवार की आय से खरीद कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,4,5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,4,5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,4,5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता सख्या 134/131–132 की कुल 4.6800हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा श्योलाल वल्द केशाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा श्योलाल वल्द केशाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा श्योलाल वल्द केशाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के दादा श्योलाल वल्द केशाराम ने पैतृक सम्पति व सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि खरीद कर प्रवितादी संख्या 1 के नाम करवाई गइ थी इसलिये यह भूमि भी पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है क्यो कि पैतृक सम्पति व सयुक्त परिवार की आय से खरीद की गई थी जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 के सभी वारिसान का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 का एक पुत्र राजवीर का देहानत हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 है अर्थात वाद भूमिं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीं एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ,4 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ,4 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाचिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाचिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पर्चा खतौनी के अनुसार वाद भूमि श्योलाल वल्द केशाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा श्योलाल वल्द केशाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा श्योलाल वल्द केशाराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरासतन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि वादी के दादा श्योलाल पुत्र केशाराम ने अपने जीवनकाल में पैतृक सम्पति व सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि खरीद की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जिसमें सयुक्त परिवार के सभी सदस्यो का हक हिस्सा है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है यहाँ यह उल्लेखनिय है कि वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्तों के अनुसार सयुक्त परिवार की आय से खरीद की गई सम्पति में परिवार के सभी सदस्यों को बराबर का हक हिस्सा होगा अर्थात वादी का कथन साबित होता है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3, ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 134/131-132 की कुल 4. 6800है० भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी अकेला 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बहिस्सा 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. कृष्ण पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. श्योलाल पुत्र केशाराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. रोहिताश पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. विमलादेवी पत्नी स्व राजवीर जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. मुकेश कुमार पुत्र स्व राजवीर जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. दिनेश कुमार पुत्र स्व राजवीर जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. कैलाश पुत्री श्योलाल पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर हाल निवासी चोडीवाला तहसील सिरसा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 814 सन 2020 निर्णय दिनांक– 20/10/2020

आज यह वाद सुश्री श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 134/131–132 की कुल 4.6800हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी अकेला 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय-वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner